

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2136] No. 2136] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 2016/भाद्र 10, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2016/BHADRA 10, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2016

का.आ. 2823(अ).— केन्द्रीय सरकार, बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 35) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 सितम्बर, 2016 को ऐसी तारीख नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[सं. ए-42025/2/2004-सीएल (जिल्द III)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2016

S.O. 2823(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016 (35 of 2016), the Central Government hereby appoints the 1st day of September, 2016, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. A-42025/2/2004-CL (Vol. III)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

4232 GI/2016